सत्यमेव जयते
Government of India

No. RL -12017/3/2024-RL Cell
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Social Justice and Empowerment
[Revision of List (of Scheduled Castes) Cell]
****

Shastri Bhawan, New Delhi- 110001
Dated: 10th June, 2025

To

The Chief Secretaries of All State Governments and Union Territory Administrations.

Subject: Issue of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe certificates consequent upon reorganisation of States-clarification regarding.

Sir,

I am directed to refer to the subject noted above and to say that in the letter No. BC-12025/2/76-SCT-I, dated 22.03.1977 of the Ministry of Home Affairs (MHA), addressed to the Chief Secretaries of all State Governments/Union Territory administrations, wherein it was, inter-alia, clarified that for deciding the eligibility of a person for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes status in relation to a State/ Union Territory, the residence in a particular locality has a special significance. It connotes the permanent residence of a person on the date of notification of the Presidential Order scheduling his/ her caste/tribe in relation to that locality. Thus, to be eligible for a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe status in relation to a State or Union Territory, one is essentially required to be a permanent resident of that State/UT on the date of notification of Presidential Order applicable in his/ her case. In case of a person born after the date of notification of the relevant Presidential Order, the place of residence for the purpose of acquiring Scheduled Caste/Scheduled Tribe status is the place of permanent abode of his/ her parents at the time of the notification of the Presidential Order under which he/ she claims to belong to such a caste.

(P.T.O.)

Scanned with CamScanner

2. The State Governments of Madhya Pradesh and Chhattisgarh have brought to the notice of this Ministry that on re-organisation of State of Madhya Pradesh vide the Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000, in view of instructions contained in aforesaid letter dated 22.03.1977, of the MHA, certain members of the castes/tribes specified as Scheduled Castes/Scheduled Tribes, who were eligible for Scheduled Caste/Scheduled Tribe status in the undivided State of Madhya Pradesh, but owing to their intra-State mobility prior to the re-organisation of the State of Madhya Pradesh, have become ineligible for Scheduled Caste/Schedule Tribe status in the successor States, though their castes are still specified as Scheduled Castes/Schedule Tribes in both the States.

3. The States of Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh were re-organised in the year 2000 and the State of Andhra Pradesh was re-organised in the year 2014. At the time of re-organisation of States of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, neither any inclusion in nor any exclusion from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes was made. Generally, at the time of reorganization of States, same list of Scheduled Castes/Scheduled Tribes is adopted in relation to the successor States, except in respect of such castes/tribes, which had area restriction. Such castes/tribes are specified in respect of the State in which the area of their specification falls.

4. The issue raised by the State Governments of Chhattisgarh and Madhya Pradesh has been examined keeping in view the instructions contained in aforesaid letter dated 22.03.1977 of the MHA, and decisions dated 07.10.2006 and 17.08.2012 of High Courts of Madhya Pradesh, Gwalior Bench and Uttarakhand in the cases of Uraon Avam Anya Adivasi Samaj Sangathan Samiti vs. State of Madhya Pradesh and Ors. (W.P.No.5664/05) and Ajay Kumar Vs. State of Uttarakhand and Anr. (W.P. No. 124 of 2011) respectively. The Hon'ble High Courts in their above decisions directed the States of Madhya Pradesh and Uttarakhand respectively to issue caste certificates to members of scheduled communities who were permanent resident of these States on the date of notification of the concerned State Re-organisation Act, irrespective of the fact to which district of the undivided State they originally belonged to. The Uttarakhand High Court in the above referred case has held that the appointed date for deciding Scheduled Caste status of a person in respect of a newly carved State of Uttarakhand is the date of notification of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, by the Central Government in the Gazette of India.

(P.T.O.)

Scanned with CamScanner

5. Accordingly, when a State is re-organised, the following aspects need to be taken into account, in regard to issuance of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates: -

(i) Persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, who were permanent resident of a successor State/ UT on the date of notification of the State re-organisation Act and who continue to reside therein, shall be eligible for Scheduled Caste/Scheduled Tribe status and consequential benefits in that State/UT, no matter to which part of the former State (undivided State) they originally belonged to provided they fulfil following conditions: -
(a) that he or his parents were permanent resident of the State/ UT on the date of notification of State Re-organisation Act,
(b) that his community is included in the list of Scheduled Castes/Scheduled Tribes of that State/ UT,
(c) that he or his parents, in terms of Ministry of Home Affairs' letter No. BC-12025/2/76-SCT-I dated 22.03.1977, were eligible for Scheduled Caste/ Scheduled Tribe status in respect of undivided State of which the newly formed State/ UT was a part.

(ii) Those members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, who as per (i) above, have eligibility for Scheduled Caste/Scheduled Tribe status in respect of successor State/ UT 'A' but they have been residing in successor State/ UT 'B', due to exigencies of services, such persons and their dependents would remain Scheduled Caste/Scheduled Tribe of successor State/ UT 'A'.

6. The above will be applicable mutatis mutandis to persons belonging to Central List of Other Backward Classes.

7. It is requested that these instructions may be circulated among all the authorities, empowered to issue Scheduled Castes certificates as well as other concerned authorities.

Yours faithfully,

(Mrityunjay Jha)
Director

Copy forwarded for information and necessary action to: -
1. Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001
2. BC-II Section, Department of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001.

Scanned with CamScanner

No.-12017/3/2024-RL Cell
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
(अनुसूचित जातियों की सूची (का) संशोधन प्रकोष्ठ)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 10 जून, 2025

प्रेषित,

सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के मुख्य सचिवों को।

विषय: राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर गृह मंत्रालय (MHA) के पत्र संख्या BC-12025/2/76-SCT-I, दिनांक 22.03.1977 का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है, जो सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के मुख्य सचिवों को संबोधित था, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट किया गया था कि किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में किसी व्यक्ति की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्थिति के लिए पात्रता का निर्णय करने हेतु, किसी विशेष इलाके में निवास का विशेष महत्व है। इसका अर्थ उस तारीख को एक व्यक्ति का स्थायी निवास है जिस तारीख को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उस व्यक्ति की जाति/जनजाति को उस इलाके के संबंध में अनुसूचित किया गया था। इस प्रकार, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से उस तारीख को उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है जिस तारीख को उसके मामले में लागू राष्ट्रपति का आदेश अधिसूचित किया गया था। संबंधित राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्ति के मामले में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से निवास स्थान उसके माता-पिता का उस समय का स्थायी निवास स्थान होगा जब राष्ट्रपति के आदेश के तहत वह ऐसी जाति से संबंधित होने का दावा करता है।

(पी.टी.ओ.)

Scanned with CamScanner

2. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने इस मंत्रालय के ध्यान में लाया है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन पर, गृह मंत्रालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 22.03.1977 में निहित निर्देशों के मद्देनजर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट जातियों/जनजातियों के कुछ सदस्य, जो अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के पात्र थे, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से पहले अपनी अंतर-राज्य गतिशीलता के कारण, उत्तराधिकारी राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए अपात्र हो गए हैं, हालांकि उनकी जातियाँ अभी भी दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट हैं।

3. बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 2000 में किया गया था और आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन वर्ष 2014 में किया गया था। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के समय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में न तो कोई समावेश किया गया था और न ही कोई बहिष्करण। आम तौर पर, राज्यों के पुनर्गठन के समय, उत्तराधिकारी राज्यों के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की वही सूची अपनाई जाती है, सिवाय उन जातियों/जनजातियों के संबंध में, जिनके लिए क्षेत्र प्रतिबंध था। ऐसी जातियों/जनजातियों को उस राज्य के संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है जिसमें उनका विशिष्ट क्षेत्र आता है।

4. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे की जाँच गृह मंत्रालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 22.03.1977 में निहित निर्देशों और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर पीठ और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के क्रमशः उरांव अवम अन्य आदिवासी समाज संगठन समिति बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (W.P.No.5664/05) और अजय कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य (W.P. No. 124 of 2011) के मामलों में दिनांक 07.10.2006 और 17.08.2012 के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए की गई है। माननीय उच्च न्यायालयों ने अपने उपरोक्त निर्णयों में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को निर्देश दिया कि वे अनुसूचित समुदायों के उन सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र जारी करें जो संबंधित राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अधिसूचना की तारीख पर इन राज्यों के स्थायी निवासी थे, भले ही वे मूल रूप से अविभाजित राज्य के किस जिले के थे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उपरोक्त संदर्भित मामले में यह माना है कि नवगठित उत्तराखंड राज्य के संबंध में किसी व्यक्ति की अनुसूचित जाति की स्थिति का निर्णय करने के लिए नियुक्त तारीख वह तारीख है जिस तारीख को केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 को अधिसूचित किया गया था।

(पी.टी.ओ.)

Scanned with CamScanner

5. तदनुसार, जब किसी राज्य का पुनर्गठन किया जाता है, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है: -

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अधिसूचना की तारीख पर एक उत्तराधिकारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी थे और जो उसमें निवास करना जारी रखते हैं, उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा और परिणामी लाभों के लिए पात्र होंगे, भले ही वे मूल रूप से पूर्ववर्ती राज्य (अविभाजित राज्य) के किस हिस्से के थे, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:

(क) कि वह या उसके माता-पिता राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अधिसूचना की तारीख पर उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी थे,

(ख) कि उसका समुदाय उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है,

(ग) कि वह या उसके माता-पिता, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या BC-12025/2/76-SCT-I दिनांक 22.03.1977 के अनुसार, उस अविभाजित राज्य जिसके नवगठित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एक हिस्सा था, के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के पात्र थे।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वे सदस्य, जो उपरोक्त (i) के अनुसार, उत्तराधिकारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 'A' के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन वे सेवाओं की आवश्यकताओं के कारण उत्तराधिकारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 'B' में रह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति और उनके आश्रित उत्तराधिकारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 'A' के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बने रहेंगे।

6. उपरोक्त बातें अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची से संबंधित व्यक्तियों पर भी यथोचित रूप से (mutatis mutandis) लागू होंगी।

7. अनुरोध है कि इन निर्देशों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सशक्त सभी प्राधिकारियों के साथ-साथ अन्य संबंधित प्राधिकारियों के बीच परिचालित किया जाए।

भवदीय,

(मृत्युंजय झा)
निदेशक

Scanned with CamScanner